राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं. – 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

दिनांकः 5/7/19

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / मान्यता / 2019 / 1253

प्रधानाचार्य,
समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल महाविद्यालय / संस्थान,
राजस्थान।

विषय : प्रतिवर्ष मान्यता शुल्क के साथ प्रपत्र एवं संस्थान / कॉलेज की वीडियोग्राफी के सम्बन्ध में।

संदर्भ : इस कार्यालय के आदेश पत्रांक – 831 दिनांक 29.04.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के संदर्भित आदेश के माध्यम से प्रतिवर्ष मान्यता शुल्क के साथ कॉलेज / संस्थानों से प्रपत्र एवं संस्थानों / कॉलेजों की वीडियोग्राफी चाही गई थी।

आप द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को प्रेषित की गई वीडियोग्राफी का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि आप द्वारा प्रेषित वीडियाग्राफी राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा कराये गये निरीक्षण रिपोर्ट के समय की वीडियोग्राफी की कॉपी / कॉलेजों की फोटोयुक्त वीडियोग्राफी / आधी–अधूरी वीडियोग्राफी भिजवाई गई है।

जिन संस्थानों द्वारा ऐसा किया गया है कि उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.07.2019 को दोपहर 01:00 बजे तक वर्तमान संस्थानों / कॉलेजों, हास्पिटिल एवं लैब की वीडियोग्राफी भिजवायें अन्यथा वर्तमान में संचालित प्रवेश प्रक्रिया पर ऐसे कॉलेजों / संस्थानों पर रोक लगाने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं एवं कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होगें।

5/7/19
(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

दिनांकः 5/7/19

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / मान्यता / 2019 / 1253

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार